संख्या-140/2020/2819/26-3-2020-510सी0एम0/2018

प्रेषक,

भगवती,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29 अक्टूबर, 2020

विषय-:अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-सन्तकबीरनगर के विकास कार्यो हेतु स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या-79/स0क0/विकास/सन्तकबीरनगर/2019-20, दिनांक-10.04.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-सन्तकबीरनगर के विकासखण्ड-बघौली के निम्नलिखित विवरण के अनुसार इण्टरलाकिंग, के0सी0ड्रेन हेतु आंकलित कुल धनराशि रू0-783.25 के सापेक्ष शासनादेश संख्या-221/2018/510सी0एम0/26-3-2018-2894/2018, दिनाक-02.11.2018 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रू0-35.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी, अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल लागत के 20 प्रतिशत धनराशि रू0-156.65 लाख (रू0 एक करोड़ छप्पन लाख पैसठ हजार मात्र)की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

जनपद-सन्तकबीरनगर विकासखण्ड-बघौली (धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं	ग्राम का नाम	कार्य का नाम इण्टरलाकिंग एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण	इण्टरलाकिंग एवं के0सी0ड्रेन हेतु पूर्व में स्वीकृत	कुल स्वीकृत धनराशि
1	तिघरा	97.63	5.00	19.526
2	बंधवा	150.10	5.00	30.02
3	बकहा	162.30	5.00	32.46
4	करैली	84.00	5.00	16.80
5	छड़ना	171.20	5.00	34.24
6	अजगरा	118.02	5.00	23.604
	योग	**783.25**	**30.00**	**156.65**

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था, उ0प्र0राज्य निर्माण सहकारी संघ लि (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) के प्रबन्ध निदेशक से शीघ्र एम0ओ0यू0अनुबन्ध कराकर धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी,जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदो पर किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत धनराशि से आनुपातिक रूप में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/ प्रमाणित प्रति शासन/निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)--संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/ द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा महाप्रबन्धक/जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार,उ0प्र0इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6)--आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7)--कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन की यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)-प्रश्नगत कार्यों में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020 दिनांक-12-05-2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2 उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3-- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24 मार्च 2020 एवं शासनादेश दिनांक-24.09.2020 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भगवती)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0-140/2020/2819(1)/26-3-2020-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित-:

1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-जिलाधिकारी,सन्तकबीरनगर।

3--निदेशक,स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग,उ0प्र0इलाहाबाद।

4--मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,उ0प्र0लखनऊ।

5--प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0)

6--जिला समाज कल्याण अधिकारी,सन्तकबीरनगर।

7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग/4-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सतीश कुमार)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।